रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2011/आश्विन 4, 1933

No. 535] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2011/ASVINA 4, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 718(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2011 है ।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, उप-खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(द) विशिष्ट पहचान संख्या (आधार)" से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ध) "जीव सांख्यिकी का अधिप्रमाणन" से सरकारी तेल विपणन कंपनी या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या दोनों द्वारा युक्ति में लाई गई या अभिनियोजित पद्धतियों के माध्यम से व्यक्ति की जीव सांख्यिकी के विरुद्ध विशिष्ट पहचान संख्या का सत्यापन किया जाना करने के लिए कनेक्शन धारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) "अधिसूचित क्षेत्र" से इस विषय में समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार नामांकन के अधीन आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है' ;

3. उक्त आदेश के खंड 3 में,—

(i) उप-खंड (1) में, मद "ग" के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(घ) सिलेंडर में भरी द्रवित पेट्रोलियम गैस तब तक अपने अधिकार में नहीं रखेगा जब तक वह व्यक्ति, जिसके नाम पर गैस का कनेक्शन जारी किया गया है, यदि उसकी गृहस्थी अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित है, गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए आधार नंबर को ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं प्राप्त कर लेता है ।";

(ii) उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक, सिलेंडर में भरी द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रदाय तब तक किसी गृहस्थी को नहीं करेगा जब तक ऐसी गृहस्थी का प्रधान :—

(क) रजिस्ट्रीकृत न हुआ हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवित पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन उसे

↓
Gazzette Notification
↓
Marketing & Distribution
↓
14. LPG (Regulation of Supply & Distribution) Amendment order 2011

(ग) अपनी गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य के लिए, ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना, बशर्ते कि गृहस्थी अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित हो, की तारीख से तीन मास के भीतर, उस वितरक को, जिससे वह घरेलू द्रवित पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुका है या कर चुकी है, आधार नंबर प्रस्तुत नहीं कर देता है या कर देती है और तत्पश्चात् रिफिल गैस सिलेंडर का परिदान, ऐसे रिफिल सिलेंडर प्राप्त कर रहे गृहस्थी के प्रधान या गृहस्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के जीव साख्यिकी के ब्यौरों के अधिप्रमाणन के पश्चात् ही किया जाएगा ।";

4. उक्त आदेश की अनुसूची 1 में,—

(i) क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"13. अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित और विशिष्ट पहचान संख्या नहीं रखने वाली किसी गृहस्थी को द्रवित पेट्रोलियम गैस कनेक्शन जारी करना;

14. कनेक्शन धारक से भिन्न किसी व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों या प्राधिकृत व्यक्ति को द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का प्रदाय करना;

15. प्राप्त कर रहे व्यक्ति की जीव साख्यिकी के अधिप्रमाणन के बिना अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का प्रदाय करना ।";

[फा. सं. पी-11013/1/2011-वितरण]

विवेक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, सा.का.नि. संख्यांक 730(अ) तारीख 22 नवंबर, 2007 और संख्यांक सा.का.नि. 655(अ), तारीख 10 सितंबर, 2009 द्वारा पश्चात्वर्ती रूप से संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 26th September, 2011

G.S.R. 718(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2011.

2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (hereinafter referred to as the said Order) in clause 2, after sub-clause (q), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

'(r) "Unique Identification Number (Aadhaar)" means a unique identification number issued by the Unique Identification Authority of India ;

(s) "authentication of biometric" means verifying the unique identification number against the biometric of the person through methods devised and deployed by the Government Oil Marketing Company or the State Government or the Union Territory Administration or both ;

(t) "authorised representative" means the person authorised by the connection holder to receive Liquefied Petroleum Gas cylinder as per the stipulations made by the Government Oil Company ;

(u) "notified area" means an area covered under Aadhaar enrolment by Unique Identification Authority of India as notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas in this regard from time to time.'

3. in clause 3 to the said Order,—

(i) in sub-clause (1), after item (c), the following item shall be inserted, namely :—

"(d) possess liquefied petroleum gas filled in cyclinder unless the person in whose name the gas connection has been issued, obtains Aadhaar Numbers for each member of the household, within three months from the date of notification of such area if that household is located in the notified area.";

(ii) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(3) No Distributor of a Government Oil Company shall supply liquefied petroleum gas filled in cyclinder to any household unless the head of such household—

(a) has been registered and granted a connection for liquefied petroleum gas under the public distribution system, or

(b) holds a valid authorization from the Government Oil Marketing Company ; and

(c) furnishes the Aadhaar Number for each member of his or her household, to the distributor from whom he or she obtained the domestic Liquefied Petroleum Gas connection, within three months from the date of notification of such area, provided the household is located in the notified area and thereafter, the delivery of a refill gas cyclinder

shall be made only after authentication of the biometric details of the head of the household or an authorised representative of the household receiving such refill cylinder.";

4. In Schedule I to the said Order,—

(i) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely ;—

"13. Issue Liquefied Petroleum Gas connection to any household located in notified area and not possessing the Unique Identification Number.

14. Supply Liquefied Petroleum Gas cylinder to any person other than the connection holder, his or her family members or authorised representative.

15. Supply Liquefied Petroleum Gas cylinder within the notified area, to any person without the authentication of biometrics of the receiving person.";

[F. No. P-210 13/1/2011-Dist.]

VIVEK KUMAR, Jt. Secy.

Note .—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G. S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and subsequently amended by G.S.R. 177(E), dated the 6th March, 2002, G.S.R. 730(E), dated the 22nd November, 2007 and G.S.R. 655(E), dated the 10th September, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064